



पर्यटन निदेशालय उत्तराखण्ड

पं० दीनदयाल उपाध्याय पर्यटन भवन,
(निकट- ओ०एन०जी०सी० हैलीघैड़, नीम्बुवाला, गढ़ीकैन्ट, देहरादून)
दूरभाष: ०१३५-२५५९८९८, E-mail- tourismkarmik@gmail.com

संख्या-७१४५/२-२-८३ का०/२०१४-२३

देहरादून दिनांक: ०६ / ०१ / २०२४

चारधाम यात्रा प्रबन्धन एवं नियन्त्रण संगठन के अन्तर्गत प्रतिनियुक्ति/पुर्णनियुक्ति के पद हेतु नियम व शर्ते

शासनादेश संख्या-१२४७७३/२०२३ दिनांक २५ मई, २०२३ द्वारा चारधाम यात्रा प्रबन्धन एवं नियन्त्रण संगठन के स्थाई कार्यालय ऋषिकेश के अधीन प्रतिनियुक्ति/पुर्णनियुक्ति के आधार पर निर्धारित योग्यता रखने वाले इच्छुक आवेदकों से निम्न वर्णित पदों पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक आवेदक इस विज्ञप्ति के साथ दिये गये आवेदन पत्र के प्रारूप पर अपना आवेदन अभिलेखों सहित स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक/कोरियर के माध्यम से प्रेषित करें, जो कि इस कार्यालय को **दिनांक २८.०१.२०२४** समय सांय ०५:०० बजे तक प्राप्त हो जाय। निर्धारित तिथि एवं समय के उपरान्त प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे।

क्र० सं०	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	भर्ती का स्त्रोत	अनिवार्य अर्हतायें एवं अनुभव
01	तहसीलदार/ नायब तहसीलदार (यात्रा)	01	—	प्रतिनियुक्ति/पुर्णनियुक्ति द्वारा	<ul style="list-style-type: none"> ऐसे तहसीलदार/ नायब तहसीलदार जिन्होंने ०५ वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। हिन्दी/अंग्रेजी भाषा पढ़ने, लिखने और बात करने का ज्ञान।
02	यात्रा प्रबन्धक (०१ पद गंगोत्री/यमुनोत्री, ०१ पद बद्रीनाथ/हेमकुण्ड साहिब, ०१ पद केदारनाथ)।	03	लेवल-५ (२९२००-९२३००)	प्रतिनियुक्ति	<ul style="list-style-type: none"> विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण हो। सरकारी/अर्द्धसरकारी अधिष्ठानों में वेतन लेवल-५ में कार्यरत कार्मिक। शासकीय/अर्द्धशासकीय/पर्यटन विभाग/निगम/धर्मस्व पर्यटन समितियों में चारधाम यात्रा क्षेत्र में न्यूनतम ०३ वर्ष कार्यानुभव। प्रदेश की भौगोलिक एवं पर्यटन क्षेत्र की जानकारी। हिन्दी/अंग्रेजी भाषा का पढ़ने, लिखने एवं कम्प्यूटर का व्यवहारिक ज्ञान।
03	सहायक लेखाकार	01	लेवल-५ (२९२००-९२३००)	—तदैव—	<ul style="list-style-type: none"> विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक उत्तीर्ण हो। सरकारी/अर्द्धसरकारी अधिष्ठानों में वेतन लेवल-५ में कार्यरत कार्मिक। राज्य/केन्द्र सरकार/निगम में कनिष्ठ लेखा लिपिक/लेखा लिपिक/सहायक लेखाकार के पद पर ०३ वर्षों का कार्यानुभव। हिन्दी/अंग्रेजी भाषा का पढ़ने, लिखने एवं कम्प्यूटर का व्यवहारिक ज्ञान।

प्रतिनियुक्ति हेतु अन्य शर्ते एवं अनुभव:-

- विज्ञापित पद पर चयन विभागीय चयन समिति के माध्यम से किया जायेगा।
- आवेदक को समस्त शैक्षिक अर्हता एवं अनुभव से सम्बन्धित प्रमाण पत्र, अपने नियोक्ता से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र, उनके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई वाद लम्बित/योजित न होने व उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार का विभागीय/विजलेन्स जांच लम्बित/प्रचलित न होने का प्रमाण-पत्र तथा पिछले पांच वर्ष की चरित्र प्रविष्टियां आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करनी होंगी।
- सम्बन्धित कार्मिक को तैनाती स्थान पर साक्षात्कार/कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा/दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।

- प्रतिनियुक्त कार्मिकों को शासन द्वारा समय—समय पर स्वीकृत/देय मंहगाई एवं अन्य भत्ते नियमानुसार अनुमन्य होंगे।
- प्रतिनियुक्ति हेतु इच्छुक व्यक्ति अपने नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण—पत्र सहित निर्धारित प्रणाली से अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से **निदेशक पर्यटन, पर्यटन निदेशालय/उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद मुख्यालय, पं० दीनदयाल उपाध्याय, पर्यटन भवन, (निकट—ओ०एन०जी०सी० हैलीपैड़)** निम्बूवाला गढ़ीकैन्ट देहरादून—248001 के पते पर **दिनांक 28.01.2024** समय सांय 05:00 बजे तक रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट /कोरियर के माध्यम से प्रेषित कर सकते हैं।
- उक्त पद हेतु निर्धारित आवेदन पत्र पर आवेदन किया जाना है, सम्बन्धी आवेदन के प्रारूप का उपयोग डाउनलोड अथवा टंकित करवाकर किया जा सकता है।
- सम्बन्धित कार्मिक का कार्य सन्तोषजनक न पाये जाने की स्थिति में किसी भी समय प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त कर दी जायेगी।
- विज्ञापित पदों की संख्या विभागीय आवश्यकतानुसार घटायी/बढ़ायी जा सकती है।
- शासन द्वारा समय—समय पर निर्गत प्रतिनियुक्ति सम्बन्धी शासनादेश उक्त प्रतिनियुक्ति पर प्रभावी होंगे।
- पर्यटन निदेशालय के पास प्रकाशित विज्ञप्ति सूचना को बिना किसी कारण के रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
- **नोट:-** प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले आवेदकों के आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी के उपरान्त पात्रता पूर्ण करने वाले आवेदकों का साक्षात्कार लिया जायेगा एवं साक्षात्कार समिति की अनुशंसा पर ही चयनित/अनुशंसित आवेदक की प्रतिनियुक्ति पर तैनाती की जा सकेगी।

निदेशक पर्यटन,
पर्यटन निदेशालय, उत्तराखण्ड।